न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– महीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 150/2020 धा०प०

1– भियाराम पु० उदा तेली नि० भियाफलियास ग्रा०पं०-तह० करेड़ा –जि० –प्रार्थी।

बनाम

1– जगु s/o भीमा गुर्जर नि० भियाफलियास ग्रा०पं०-तह० करेड़ा- जि० विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–120 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय :: दिनांकः 16/3/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–120 रा० भू० राज० अधि01956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भियाफलियास पटवार हल्का गोरख्या भू०अ०नि० क्षेत्र गोरख्या में उनके खाता संख्या 15 की आ०नं० 3599/3084 रकबा 2.00 बीघा .... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21/9/20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–120 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भियाफलियास पटवार हल्का गोरख्या भू०अ०नि० क्षेत्र गोरख्या में उनके खाता संख्या 15 की आराजी नम्बर 3599/3084 रकबा 2.00 बीघा .... भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ०नि० गोरख्या को 150/-रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

सलंग्न :– प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर, करेड़ा
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:16:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को नेजानार्थ लेख है कि प्रार्थी द्वारा ... जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर, करेड़ा
जिला भीलवाड़ा